

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2022/ 1435

दिनांक 05/07/2022

प्रार्थी :-

1. सुखाराम पुत्र इसराराम  
जाति जाट, निवासी केरनाडा  
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण:-

1. पारस पुत्र केसराराम जाति देशान्तरी  
निवासी केरनाडा 2. भारताराम 3. धर्मराम पि.  
नथूराम 4. लूणाराम पुत्र धनाराम :-  
4/1. केलाराम 4/2. तिलाराम 4/3. नेमाराम  
पि. लूणाराम 5. नागजीराम पुत्र धनाराम  
6. कुंभाराम पुत्र इसराराम, जाति जाट,  
निवासी केरनाडा, तहसील चौहटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम

वास्ते करने नेखमबंदी बाबत |

राजस्व आवेदन सं. 19/2018

दिनांक : 05.07.2022

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र चौहटन के मौजा केरनाडा के खेत खसरा सं. 519/470 रकबा 07.15 बीघा एवं खसरा सं. 530/330 रकबा 21.06 बीघा एवं मौजा चूली डूंगरी के खेत खसरा सं. 419/333 रकबा 28.08 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थी कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- के क्र. पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2022/ 1437 to 1440

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थी सुखाराम
3. विप्रार्थीगण पारस बगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौरीमन्ना

उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन  
दिनांक 05/07/2022



(भागीरथ सिम II)

उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन